

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 193 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 11 जुलाई, 2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य के वन भूमि हेतु 0.945 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हेतु 0.945 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपो०सं० (FP/UK/ROAD/144679/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 743/FP/UK/ROAD/144679/2021 दिनांक 16.09.2021 ।


महोदय,

उपरोक्त विषयक पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है, साथ ही सम्बन्धित आपत्तियों के अभिलेख आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित -

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	विषयसूची में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की ल० एवं चौड़ाई के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की ल० एवं चौड़ाई के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर करा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4.	प्रस्ताव में वर्तमान दरों के अनुसार आस-पास रिक्त पड़े स्थानों /100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न करे।	प्रस्ताव में वर्तमान दरों के अनुसार आस-पास रिक्त पड़े स्थानों /100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	प्रस्ताव में संलग्न वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करा ऑनलाइन अनलोड कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
6.	बांज वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन संरक्षक के संस्तुति अपेक्षित है।	-
7.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में नाप भूमि में 0-10 व्यास वर्ग के 10 बांज वृक्ष एवं 10-20 के 54 बांज वृक्ष अंकित किये गये हैं। कृपया उक्त क्षेत्र का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग से ग्राम में जिन व्यक्तियों के खेतों में उक्त वृक्ष है, का खसरा नम्बर, मानचित्र तथा उक्त व्यक्तियों का बांज वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में नाप भूमि में 0-10 व्यास वर्ग के 10 बांज वृक्ष एवं 10-20 के 54 बांज वृक्ष अंकित किये गये हैं। अतः उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग से ग्राम में जिन व्यक्तियों के खेतों में उक्त वृक्ष है, का खसरा नम्बर, मानचित्र तथा उक्त व्यक्तियों का बांज वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कर ऑनलाइन अनलोड कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
8.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(डा० कोको रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।